निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1940 (श0)

(सं0 पटना 241) पटना, सोमवार, 18 फरवरी 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

18 फरवरी 2019

सं0 04/STA(सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट)-32/2018-1408/परि0––मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–68 की उपधारा–(5) सहपठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा–212 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–1119 दिनांक 06.02.2019 द्वारा किया जा चुका है ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ–(1) यह बिहार मोटरयान (संशोधन) नियमावली,2019 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार के राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''संयुक्त परिवहन आयुक्त'' के पश्चात् शब्द ''संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार'' एवं ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

3. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68 के उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''संयुक्त परिवहन आयुक्त'' के पश्चात् शब्द ''संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार'' एवं ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

4. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–69 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार्/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय'' के पश्चात् शब्द ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

5. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–69 के उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार्/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय'' के पश्चात् शब्द ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 18th February 2019

No.04/STA(सं०भा०पर्य०प०)-32/2018-1408/परि०–In exercise of the powers conferred by Section-96 read with section-68(5), the Governor of Bihar make following rules for amendments in Bihar Motor Vehicle Rule, 1992, which was published by departmental memo no-1119 dated-06.02.2019 in light of the section-212 of the Act.

1. ***Short title, extent and commencement.*—** **(1)** These Rules may be called Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rules, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar

(3) It shall come into force from the date of its final publication in the Bihar Gazette.

2. After the words "Joint Transport Commissioner" used in sub rule (1) of rule 68 of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992, the words "Joint Commissioner-cum-Secretary, Regional Transport Authority" and "District Transport Officer" shall be inserted.

3. After the words "Joint Transport Commissioner" used in sub rule (2) of rule 68 of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992, the words "Joint Commissioner-cum-Secretary, Regional Transport Authority" and "District Transport Officer" shall be inserted.

4. After the words "Secretary, Regional Transport Authority/ Regional Transport Office" used in sub rule (1) of rule 69 of the said Rules, 1992 the words "District Transport Officer" shall be inserted.

5. After the words "Secretary, Regional Transport Authority/ Regional Transport Office" used in sub rule (2) of rule 69 of the said Rules, 1992 the words "District Transport Officer" shall be inserted.

By the Order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Agarwal,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 241-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–04/STA(सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट)-32/2018 परि0–........../...........मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–68 की उपधारा–(5) सहपठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा–212 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–1119 दिनांक–06.02.2019 द्वारा किया जा चुका है ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ–(1)**यह बिहार मोटरयान (संशोधन) नियमावली,2019 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह बिहार के राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''संयुक्त परिवहन आयुक्त'' के पश्चात् शब्द ''संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार'' एवं ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

3. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68 के उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''संयुक्त परिवहन आयुक्त'' के पश्चात् शब्द ''संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार'' एवं ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

4. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–69 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय'' के पश्चात् शब्द ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

5. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–69 के उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय'' के पश्चात् शब्द ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(संजय कुमार अग्रवाल)

सरकार के सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1408 पटना, दिनांक– 18/2/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना–7 द्वारा संयुक्त सचिव ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

18/2/19

सरकार के सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–04/STA(सम्पूर्ण भारत पर्यटक परमिट)-32/2018 परि0–........../..........मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–68 की उपधारा–(5) सहपठित धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा–212 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–1119 दिनांक–06.02.2019 द्वारा किया जा चुका है ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ–(1)**यह बिहार मोटरयान (संशोधन) नियमावली,2019 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह बिहार के राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''संयुक्त परिवहन आयुक्त'' के पश्चात् शब्द ''संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार'' एवं ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

3. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 68 के उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''संयुक्त परिवहन आयुक्त'' के पश्चात् शब्द ''संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार'' एवं ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

4. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–69 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय'' के पश्चात् शब्द ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

5. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–69 के उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/प्रादेशिक परिवहन कार्यालय'' के पश्चात् शब्द ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' अंतः स्थापित किये जाएंगें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना–7 द्वारा संयुक्त सचिव ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1408 पटना, दिनांक– 18/2/19

प्रतिलिपिः– सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

18/2/19

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।